संख्या 5/2015/278 / सत्रह-म-2015,6-9(40)/2014

प्रेषक

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

1 निदेशक मत्स्य
उ0 प्र0 लखनऊ
2 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 23 फरवरी 2015

विषय प्रदेश में लोहिया अवास के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों के समान मछुआ आवासों को बनाये जाने के सम्बंध में दिशा-निर्देश । महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण की योजना के अन्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण का कार्य जिला स्तर पर इदिरा आवास योजना के अनुसार सम्पादित किये जाने के सम्बंध में समस्त जिलाधिकारी /अध्यक्ष मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश को सम्बोधित शासनादेश संख्या - 3824/57-म-96-10 -7(27) /84 दिनांक 03-08-1996 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे जिसके क्रम में शासनादेश संख्या- 1083/57-म-2001-10-7(27)/84 दिनांक 21-04-2001 द्वारा मछुआ अवासों के निर्माण हेतु लाभार्थयों की चयन प्रकिया के सम्बंध में दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा प्रति मछुआ आवास लागत रू0 75,000 निर्धारित की गयी। मछुआ आवासों की निर्माण लागत कम होने के कारण रहने योग्य मछुआ आवास न बन पाने तथा मछुआ समुदाय की खराब आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ मछुआ आवास के समान किये जाने के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या - 1107/सत्रह -म- 2014-6-9(40)/2014 दिनांक 27-06-2014 द्वारा मछुआ आवास की लागत रू0 1.85 लाख निर्धारित की गयी जिसमें रू0 1.60 लाख शासकीय अंश तथा रू0 25,000 लाभार्थी अंश रखा गया । उक्त शासनादेश दिनांक 27-06-2014 के प्रस्तर -4 में उल्लेख किया गया है कि विशिष्टियों का निर्धारण अलग से किया जायेगा तथा मछुआ आवासका क्षेत्रफल भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर तक सीमित रहेगा ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या - 26/38-4-14-05(बजट) /2012 दिनांक 19 जून 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष् 2014-15 में लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लोहिया आवासों की प्रति इकाई निर्माण लागत संशोधित कर रू0 2.75 लाख निर्धारित की गयी जिसमें सोलर सिस्टम लाइट व फैन आदि हेतु रू0 30,000 सम्मिलित है । इसी क्रम में ग्राम्य विकास विभाग क शासनादेश संख्या - 2 /1328/ 38- 4-14-05(बजट) /2012 दिनांक 19 जून 2014 द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास का आकार / क्षेत्रफल 28.30 वर्ग मीटर से बढाकर 30 वर्ग मीटर किया गया और परिणाम स्वरूप निर्माण इकाई लागत की

ह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि को भी संशोधित करते हुए रू0 2.75 लाख से बढाकर रू0 3.05 लाख की गयी है, जिसमें निर्माण हेतु रू0 2.75 लाख तथा सोलर लाइट सुविधा के लिए रू0 0.30 लाख की धनराशि सम्मिलित है । आवासकके डिजाइन क्षेत्रफल एवं निर्धारित ले- आउट न्यूनतम 30 वर्ग मीटर अवश्य रखे जाने के निर्देश है ।

लोहिया ग्रामीण आवासों की निर्माण लागत आच्छादन क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों में किये गये संशोधन /पुनरीक्षण के दृष्टिगत मछुआ आवासों की प्रति इकाई निर्माण लागत भी संशोधित किये जाने का औचित्य पाते हुए राज्य सरकार के निर्णयानुसार निर्गत शासनादेश संख्या - 02 /सत्रह -म- 2014-6-9(40)/2014 दिनांक 12-01- 2015 में यह निर्देश दिये गये कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों के क्षेत्रफल, अन्य विशिष्टियॉ तथा निर्माण लागत में समय-समय पर होने वाले पुनरीक्षण मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों पर स्वत: यथावत लागू होगें । मछुआ आवास के लिए दी जाने वाली शासकीय सहायता में से केन्द्राश की धनराशि घटाकर शेष धनराशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। शासनादेश दिनांक 12 जनवरी 2015 की व्यवस्थानुसार मछुआ आवास की निर्माण लागत आच्छादन क्षेत्रफल व विशिष्टियॉ लोहिया आवासके समान हो जाने के फलस्वरूप मछुआ आवास निर्मित किये जाने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधित दिशा- निर्देश जारी किये जा रहें है ।

1 मछुआ आवास के निर्माण हेतु मानचित्र, आच्छादन क्षेत्रफल अन्य विशिष्टियॉ लोहिया आवास के समान होगा । आच्छादन क्षेत्रफल, ले- आउट (मानचित्र) अन्य विशिष्टियॉ एवं लागत निर्माण के मार्गदर्शन हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग -4 के शासनादेश संख्या - 2 /1328/ 38- 4-14-05(बजट) /2012 दिनांक 10-12-2014 तथा शासनादेश संख्या- 3/1463/ 38- 4-14-05(बजट) /2012 दिनांक 18-12-2014 की प्रतियॉ संलग्न है।

2 वित्तीय वर्ष 2014 -15 समाप्त होने वाला है तथा वर्ष 2014-15 के लिए 647 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या - 2115/ सत्रह-म-2014 11-1 म(6)/2006 दिनांक 28-11-2014 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 48589700 (चार करोड पच्चासी लाख नवासी लाख सात सौ मात्र) जारी की जा चुकी है जिसके आधार पर लाभार्थी चयन के पूर्व व्यवस्था के अनुसार कार्यववाही प्रगति पर होने की स्थिति के दृष्टिगत लाभार्थी चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या -1083(1) / 57 -म 2001 - 10-7 (27)/84 दिनांक 21-4-2001 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी ।

3 मछुआ आवासों में सोलर सिस्टम लाइट व फैन की व्यवस्था लोहिया आवास की भॉति कराये जाने हेतु प्रति आवास रू0 30,000 की धनराशि का प्राविधान होने पर इससे सम्बंधित दिशा- निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें ।

4 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु ऐसे लाभार्थियों का चयन किया जायेगा जो प्रदेश द्वारा संचालित अन्य आवासीय योजनान्तर्गत पूर्व में आच्छादित न किये गये हों । चयन उपरान्त चयनित लाभार्थी परिवारों का सत्यापन जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा स्वंय किया जायेगा । भविष्य में यदि कोई लाभार्थी परिवार द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवास प्राप्त हुआ पाया जाता है तो उस आवास की पूरी लागत भू- राजस्व की भॉति लाभार्थी से वसूल कर ली जायेगी तथा त्रुटिपूर्ण चयन हेतु सम्बंधित सहायक निदेशक मत्सय/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सम्बंधित दोषी कर्मचारी के विरूद्व की जायेगी ।

ह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5 पक्के निर्मित आवास के पार्श्व में शिलापटट / टाइल लगायी जायेगी, जिस पर योजना का नाम / लाभार्थी का नाम एवं योजना का वर्ष अंकित होगा।आवास की पुताई सफेद रंग की होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय न होगी ।

6 योजना का अनुश्रवण निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ के स्तर पर किया जायेगा इस हेतु प्रत्येक मण्डल /जनपद से सूचना प्राप्त करते हुए पाक्षिक समीक्षा की जायेगी तथा त्रिस्तरीय सत्यापन कराया जायेगा । जनपदीय अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी समय- समय पर उपलब्ध करायी जायेगी जिसका औचक निरीक्षक सम्बंधित उप निदेशक मत्स्य द्वारा किया जायेगा जो अपनी निरीक्षण आख्या समय-समय पर निदेशालय को उपलब्ध करायेगें । निदेशक मत्स्य द्वारा टीम तैयारकर फील्ड में भौतिक सत्यापन भी कराया जायेगा।

मछुआ आवास योजना से सम्बंधित पूर्व में निर्गत दिशा- निर्देश सम्बंधी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव ।

संख्या - 5/2015/ सत्रह-म- 2015 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
2 प्रबंध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ
3 समस्त उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य उ0प्र0 ।
4 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0 ।
5 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव

ह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।